Dr. Seema Kumari, Asst. Prof. (Pol. Sc.), RMC, VKSU 1.
Date - 01.07.2021. BA(1) (Subs.)

समानता - न्यायिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिणाम, अधिकार और समानता के संबंध।

स्वतंत्रता और समानता आधुनिक युग के प्रमुख राजनीतिक आदर्श हैं। फ्रेंच क्रांति (1789) के तीन आदर्श थे - स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जिन्होंने आधुनिक चिंतन की दिशा में प्रेरणा शक्ति का काम किया। समानता का विचार एक जटिल विचार है यह अधिकार के बारे में बताती है। समानता का विचार सामाजिक परिवर्तन की मांग करता है जो सामाजिक विषमताओं को दूर करता है।

समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों से है जिसके कारण व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सके और इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक वैषम्य है। लॉस्की ने इसी प्रकार का विचार दिया है 'समानता मूल रूप से समानीकरण की एक प्रक्रिया है। इसलिए प्रथमतः समानता का आशय विशेषाधिकारों के अभाव से है, दूसरा पर्याप्त अवसर से है।

समानता का अर्थ अक्षरशः समानता नहीं है। योग्यता अनुभव और कर्मठता के आधार पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न पदों पर नियुक्त करना समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। भेदभाव का तर्कसंगत आधार हो, समानता की सकारात्मक संकल्पना भी कुछ भेदभाव अवश्य स्वीकार करती है शर्त यह है कि भेदभाव समानता की पुष्टि करे हनन नहीं।

Scanned with CamScanner

समानता के विविध आयाम

समानता के सिद्धांत को सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। समानता के कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक आयाम मुख्य रूप से है। ये सभी एक दूसरे से निकटता से जुड़े हुए हैं।

कानूनी समानता –

जे० जे० रूसो की पुस्तक "The Social contract' (1762) में लिखा है कि सभी नागरिकों को कानूनी समानता प्रदान करना नागरिक समाज की प्रमुख विशेषता है। अर्नेस्ट बार्कर 'Principles of Social and Political Theory' (1951) में कहा है कि राज्य का मूल सिद्धांत यह है कि वह हमें कानूनी व्यक्तित्व के एक जैसे मुखौटे पहना देता है। हममें चाहे जो भी भिन्नताएं रही हों, कानून के समक्ष हम सबका महत्व एक जितना होता है।

कानूनी समानता में निम्न बातें आती हैं: –

1. कानून के समक्ष समानता – आइवर जेनिंग्स "समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक समान होगा।
2. कानून का समान संरक्षण – भारतीय संविधान का अनु० 14 भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
3. कर्तव्यों के प्रसंग में समानता
4. करों के निर्धारण में समानता
5. विवेकसंगत आधार पर भेदभाव मान्य – भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त SC/ST को दी गई विशेष सुविधाएं।

→

Scanned with CamScanner